न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –93/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00201

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

शोला आत्मज हजारी चमार बंजारा निवासी तमोलिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 26/08/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम तमोलिया के आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 0.81 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त । पूर्व में अप्रार्थी दिनांक 28.9.2021 को उपस्थित होकर उनकी आवंटित भूमि बांध में अवाप्त होना बताते हुए उनको मुआवजा भी प्राप्त होना अंकित किया जाने पर आदेशिका दिनांक 28.9.2021 से इसकी पुष्टि हेतु तहसीलदार रामगंजमण्डी को पत्र लिखा गया । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1195 दिनांक 19.8.2025 प्रस्तुत कर उक्त आवंटित भूमि अवाप्त होकर जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज होना अंकित किया है । पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी अनुपस्थित ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम तमोलिया तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 0.81 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही तहसीलदार रामगंजमण्डी ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1195 दिनांक 19.8.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तमोलिया का खसरा संख्या 247 वर्तमान में जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज है, ताकली बांध परियोजना तहसील रामगंजमण्डी के अंतर्गत चतुर्थ चरण में खातेदार के खसरा गत 271 हाल खसरा नं0 247 को अवाप्ति में दर्ज किया गया था । जल संसाधन विभाग मुआवजा देने पर दिनांक 24.8.2017 को सम्बन्धित विभाग के नाम नामांतरण संख्या 294 से दर्ज कर दिया गया है, वर्तमान में उक्त भूमि जल

जिला कलक्टर
कोटा

संसाधन विभाग के नाम दर्ज है । इस प्रकार आवंटित भूमि जल संसाधन विभाग द्वारा अवाप्त होने एवं जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज होने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर निरस्त की जाना उचित होगा ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम तमोलिया तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 247 रकबा 0.81 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी से प्राप्त रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि ताकली बांध के लिए अवाप्त होकर जल संसाधन विभाग द्वारा मुआवजा देने पर दिनांक 24.8.2017 को जल संसाधन विभाग के नाम नामान्तरकरण संख्या 294 से दर्ज कर दिया गया है तथा उक्त भूमि वर्तमान में जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पंत्र आवंटन निरस्तीकरण पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाना उचित प्रतीत होता है ।

5. परिणामस्वरूप आवंटित भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 0.81 हे0 जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज होकर भूमि की किस्म गे0मु0 बांध दर्ज होने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा